

जिला न्यायाधीश महोदय,
पीलीभीत।

दिनांक: 04-08-2020

महोदय,

सादर। जनपद न्यायाधीश, पीलीभीत के आदेश सं0-102/2020 दिनांक 05-05-2020 एवं उस पर आपके पुष्पकान दिनांक 06-05-2020 जिसके द्वारा जनपद न्यायाधीश, महोदय में माननीय न्यायालय में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का प्रतिदिन भर्ना रकमिण वेकअप कराये जाने एवं दिनांक 07-05-2020 को सॉय 05:00 बजे तक माननीय न्यायालय परिसर न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष तथा कार्यालय की साफ-सफाई सौचालयजन का कार्य सम्पादित कराने तथा उक्त कार्य प्रतिदिन सम्पादित कराये जाने तथा दिनांक 08-05-2020 से प्रत्येक दिन सॉय 04:00 बजे जनपद पीलीभीत में कोरोना के खतरे एवं रिपोर्ट के सम्बन्ध में रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने के आदेश निम्नित किये गये हैं।

जनपद न्यायाधीश, महोदय द्वारा निर्गत उक्त आदेशों के क्रम में आख्या निम्नवत आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है-

कोरोना-19 से सम्बन्धित आख्या

माननीय न्यायालय में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के वर्गों को रकमिण की संख्या	माननीय न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष तथा कार्यालय की साफ-सफाई सौचालयजन का कार्य	जनपद पीलीभीत में अब तक कुल किराये-19 के सम्पल हुये	कुल कोरोना पीलिटिव की संख्या	कोरिड-19 के सक्रिय कोरिस	कोरिड-19 के रिकवर्ड के संख्या	कुल कोरोना निगेटिव की संख्या	कितने व्यक्तियों का रिपोर्ट आना शेष है।	जनपद में आये विदेशी यात्रियों की संख्या	विदेश से आये व्यक्तियों की संख्या जो टेस नही हो सके।	अन्य राज्यों एवं प्रदेशों के अन्य जनपदों से आने वाले व्यक्तियों की संख्या जिन्हें होम कोरेन्टाइन किया गया है	विभागीय कोरेन्टाइन की संख्या	जनपद में कुल कोरेन्टाइन जोन क्षेत्र की संख्या
00	Yes	25074	878	468	403	23213	983	665	06	411	01	95

7-Deaths for which Audits is being done.

नोट- कोरिड-19 महामारी के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत में 95 क्षेत्रों में कंटेनमेंट एरिया बनाये गये हैं। जनपद न्यायालय परिसर पीलीभीत कंटेनमेंट जोन में नही आता है।

2-दिनांक 23.07.2020 को निम्नलिखित अधिकारियों / कर्मचारियों का कोरिड-19 टेस्ट कराया गया दिनांक 26.07.2020 को कोरिड-19 परीक्षण की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय के कर्मचारियों श्री देवी प्रसाद, श्री अरुण कदिर, एवं के0के0शिर तथा / अधिकारीजन श्री अधिक पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं श्री सुनील कुमार, सिविल जज (सीनियर डिजीजन) कोरिड-19 पीलिटिव पाये गये। उपरोक्त में से श्री अधिक पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं श्री सुनील कुमार, सिविल जज (सीनियर डिजीजन) जेडीज परिसर में निवास करते हैं। अतः शासनादेश के अनुसार उनके निवास को केंद्र मानते हुये 500 मीटर के क्षेत्र को दिनांक 27.07.2020 से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

शासनादेश संख्या 1324/सं-पॉ-5-2020 दिनांक 23 जुन 2020 के अनुसार अन्तिम धनात्मक रोगी के सम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों तक सम्बन्धित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बना रहेगा। यदि अन्तिम धनात्मक रोगी के सम्पल कलेक्शन की तिथि से 14 दिनों उपरान्त तक कोई अन्य क्षेत्र उस क्षेत्र में नही पाया जाता है तो ऐसे क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन को सूची से विमुक्त कर दिया जायेगा। अतः उक्त कंटेनमेंट जोन दिनांक 06.08.2020 को विमुक्त कर दिया जायेगा।

अपर पुलिस अधीक्षक
पीलीभीत।
पत्रांक संख्या- 30/वि030/कोडपार-2019/शैनिक सूचना/2020-21/
प्रतिनिधि-सुगन्ध एवं आरोग्यक कार्यालयी हेतु सावर प्रेषित।
1-जिला अधिकारी महोदय, पीलीभीत।

अपर जिला अधिकारी (वि0/रा0)
पीलीभीत।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पीलीभीत।
तददिनांक

SEVEN 18 2020
District Judge
PILBHIT
04-08-2020

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
पीलीभीत।